



फा.सं.- एफ.टीयू/रजि./जी-एडमिन/05/2015 (वां.-V)

दिनांक : 14 सितंबर, 2020

अधिसूचना

सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि पीएच.डी.-नियम एवं विनियम -2014 के खंड 12.01(ए) तथा पीएच.डी. नियम एवं विनियम -2016 के खंड 14 में निम्न संशोधन किया गया है :

“शोधार्थी के ओपन पब्लिक वाइवा वॉस की संस्तुति/ निर्णय माननीय कुलपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा प्रस्तुत संस्तुति पर कुलपति महोदय के अनुमोदन के उपरांत ही उसका परिणाम घोषित किया जाएगा तथा संबंधित अभ्यर्थी को औपबंधिक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और इसे अकादमिक परिषद की आगामी बैठक में रिपोर्ट किया जाएगा।”

इसे तत्काल प्रभाव से लागू माना जाए।

माननीय कुलपति, त्रिविवि के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(डॉ. के. बी. जमातिया)

कुलसचिव (प्र.)

प्रति :

1. विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्ष/ अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, त्रिपुरा विश्वविद्यालय ।
2. सभी अकादमिक विभागों के अध्यक्ष/ प्रभारी, त्रिविवि..... को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त अधिसूचना का प्रसार अपने विभाग में कार्यरत संकाय सदस्यों के मध्य करें।
3. श्री सुमन दास, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, त्रिविवि कृपया उक्त अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. माननीय कुलपति, त्रिविवि के सूचनार्थ उनके निजी सचिव।

अनुवाद सत्यापित

मुनीन्द्र मिश्र

Muneendra Mishra
सहायक निदेशक (राजभाषा)
Assistant Director (O.L.)
त्रिपुरा विश्वविद्यालय
Tripura University.